# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) शिक्षा विभाग,जोधपुर

## –:: कार्यालय आदेश ::–

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज0 बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ –1/12102/शा0शि0 III/सी.भ./2013–16 दिनांक 13.04.2017 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा तृ.वे.श्रृं. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर भर्ती परीक्षा 2013 हेतु वेतन श्रृंखला पी.बी. –2(9300–34800) ग्रेड पे 3600 पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित आशार्थियों को तृ.वे.श्रृं.शा.प्र.अनु. पद पर वेतन श्रृंखला पी.बी.–2 (9300–34800) ग्रेड पे 3600 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ12(6) एफडी (नियम)/05 दिनांक 13.03. 2006 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3 (1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक प.17(4)शिक्षा–2/2009 दिनांक 29.03.2006 के पार्ट बी में वर्णित निर्देशों के अनुसार दिनांक 26.04.2017 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इन्हे दिनांक 08.05.2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा।उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। यह नियुक्ति माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

**संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण करावाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करे :–**

1. इनके द्वारा अर्जित एवं इनके आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/प्रशैक्षिक/आयु/जाति/आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता/सन्देह होने की स्थिति में इस कार्यालय को प्रमाण सहित सूचित करते हुए अग्रिम आदेश तक कार्यग्रहण नहीं करावे।
2. सक्षक चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा संबंधित जिला पुलिस अधिक्षक द्वारा जारी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जाये। पूर्व मे राजकीय सेवा मे सेवारत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।
4. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओ की जांच विभाग द्वारा करायी जानी शेष है। अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गयी है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा राज्य की बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य एवं मान्य नहीं पाई गयी तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
5. इन्हे कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करे कि उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाऐ एवं दस्तावेज सही है। इनके त्रुटिपूर्ण/जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए इनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

लगातारपेज नं.2.....

6. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई. (03 वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशैक्षणिक योग्यता धारित है उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
7. यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेल--कूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित/अनुप्रमाणित नहीं है तो उनके मूल खेल--कूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्थाप्रधान के हस्ताक्षरित/प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त कर अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे।
8. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा।
9. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र पर चस्पा छायाचित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चिता कर लिया जावे की यह वही अभ्यर्थी है जिसको नियुक्ति प्रदान की गयी है।
10. इन्हे कार्यग्रहण कराने से पूर्व कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क--2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी बचनबंधता (undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे।
11. इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रस्तुत करते हुए शाला दर्पण में इनकी प्रविष्टियां अपडेट करेंगे।

(प्रभुलाल पंवार) 26/4/17
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक--प्रथम)
शिक्षा विभाग,जोधपुर

क्रमांकः--जिशिअ/माध्य/जोध/संस्था--स/नियुक्ति/शा0शि0--2013/2017/623 दिनांक :-- 26/4/17
प्रतिलिपिः--निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. प्रतिलिपि श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप--2) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
3. श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. श्रीमान् उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक--द्वितीय) शिक्षा विभाग,जोधपुर।
6. संबंधित संस्था प्रधान ............................................।
7. संबंधित आशार्थी ............................................।
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
9. रक्षक/निजी पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक--प्रथम)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) शिक्षा विभाग जोधपुर

क्रमांक :– जिशिअ/माध्य/जोध/संस्था–स/नियुक्ति/शा0शि0–2013/2017/623 दिनांक :– 26/5/17

## शारिरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III के पदस्थापन आदेश

| क्र स | वरीयता कमांक | नाम अभ्यर्थी | पिता का नाम | वर्ग | स्थाई पता | जन्म तिथि | चयन वर्ग | नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R-33 | कैलाश सिंह | सोहन सिंह | GE | ग्राम पो खाखड़िया तह रियाबड़ी जिला नागौर | 10.07.1981 | GENM | राउमावि अगोलाई बालसर (जोधपुर)। |
| 2 | R-34 | घनश्याम सिंह जोधा | पदम सिंह | GE | नीमला हाउस–21 राजमाता स्कूल के पास राईका बाग जोधपुर | 08.07.1980 | GENM | राउमावि पीपाड़ रोड, पीपाड़ (जोधपुर)। |
| 3 | R-52 | लोकेन्द्र सिंह | रूड सिंह | GE | गांव मादरेचों का गुढा पो भैंसाकमल तह नाथद्वारा जिला राजसमंद | 25.11.1987 | GENM | राउमावि [illegible] [illegible] (जोधपुर)। |
| 4 | R-54 | रामकिशोर शर्मा | दीनदयाल शर्मा | GE | बी–105, शिवशक्ति नगर तीसरी पोल के बाहर रोड न 06 महामंदिर जोधपुर | 18.07.1980 | GENM | राउमावि बाड़ा खुर्द, ओसियां (जोधपुर)। |
| 5 | R-57 | आबू सिंह | कालूसिंह | GE | ग्राम जवड़िया पो गिरादड़ा जिला पाली | 11.07.1984 | GENM | राउमावि लोर्डिया, फलोदी (जोधपुर)। |
| 6 | R-260 | टोमाराम | चतुराराम | BC | ग्राम हनुमान सागर (मोटानियां नगर) पो मतोड़ा तह ओसियां जोधपुर | 15.4.1989 | OBCM | राउमावि चामपासर [illegible] (जोधपुर)। |
| 7 | R-900 | हुकमाराम | दुर्गाराम | SC | ग्राम पो उटाम्बर तह बालेसर जोधपुर | 01.02.1988 | SCM | राउमावि [illegible], फलोदी (जोधपुर)। |
| 8 | R-1134 | महेश कुमार | मताभाई | ST | 132 साई विहार कॉलोनी महावीर टॉकिज के पास आबूरोड जिला सिरोही | 20.06.1979 | STM | राउमावि रिड़मलसर (जोधपुर)। |
| 9 | R-1144 | जवान लाल मीणा | वीरमजी मीणा | ST | गांव आम्बा का कुंआ पो लूणदा वाया कानोड़ प.स भीण्डर तह वल्लभनगर जिला उदयपुर | 15.08.1981 | STM | राउमावि [illegible] सिंह जी सिंह बाप(जोधपुर)। |
| 10 | R-1146 | सोहन लाल मीणा | नारायण लाल मीणा | ST | गांव फुलरिया पो भोपाखेड़ा प.स भीण्डर तह वल्लभनगर जिला उदयपुर | 13.05.1983 | STM | राबा[illegible]उमावि बाप (जोधपुर)। |
| 11 | R-1160 | अशोक कुमार | चुन्नीलाल | ST | मु. लुन्दाड़ा पो मालनू वाया नाणा तह बाली जिला पाली | 05.07.1985 | STM | राउमावि रङ का बेरा फलोदी (जोधपुर)। |

(प्रभुलाल पवार)
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम)
शिक्षा विभाग, जोधपुर